"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 297] रायपुर, बुधवार, दिनांक 30 अक्टूबर 2002—कार्तिक 8, शक 1924

वित्त एवं योजना विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर, 2002

अधिसूचना

क्रमांक 557/690/वि/नि/चार/2002.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2002 है.

   (2) यह 1 नवंबर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

2. समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थी, एतद्द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेगी जब तक कि वे निरसित तथा संशोधित न कर दी जाए. उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" स्थापित किए जाएं.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कोई कार्रवाई (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, आदेश, नियम, प्ररूप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेंगी.

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	विधियों के नाम (2)
1.	मध्यप्रदेश मूलभूत नियम भाग-1.
2.	मध्यप्रदेश मूलभूत नियम भाग-2.
3.	मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 1977.
4.	मध्यप्रदेश यात्रा भत्ता नियम.
5.	मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पदग्रहण काल) नियम, 1982.
6.	मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976.
7.	मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन का कम्यूटेशन) नियम, 1996.
8.	मध्यप्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियम.
9.	मध्यप्रदेश शासकीय सेवक परिवार कल्याण निधि नियम, 1974.
10.	मध्यप्रदेश शासकीय सेवक समूह बीमा योजना, 1985.
11.	मध्यप्रदेश वाहन चालक दुर्घटना बीमा नियम, 1993.
12.	मध्यप्रदेश वेतनमान समेकीकरण तथा संविलियन पर वेतन निर्धारण नियम, 1959.
13.	मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 1961.
14.	मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 1973.
15.	पुनरीक्षित फकीरचंद वेतनमान में इंजीनियरों का वेतन निर्धारण संबंधी नियम (म. प्र. वित्त विभाग क्रमांक 1409/2814/83-आर-1/चार, दिनांक 23-9-83).
16.	मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 1983.
17.	मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 1987.
18.	मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 1990.
19.	मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 1998.
20.	मध्यप्रदेश कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी वेतन पुनरीक्षण नियम, 1984.
21.	मध्यप्रदेश कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी वेतन पुनरीक्षण नियम, 1987.
22.	मध्यप्रदेश कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी वेतन पुनरीक्षण नियम, 1990.

(1)	(2)
23.	मध्यप्रदेश कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी वेतन पुनरीक्षण नियम, 1998.
24.	मध्यप्रदेश कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी (पेंशन) नियम, 1979.
25.	मध्यप्रदेश कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी (ग्रेच्यूटी बेनीफिट्स) नियम, 1962.
26.	मध्यप्रदेश पेंशनर कल्याण निधि नियम, 1997.
27.	पुलिस कर्मचारी वर्ग असाधारण परिवार पेंशन नियम, 1965.
28.	मध्यप्रदेश सिविल सेवा (असाधारण) पेंशन नियम, 1963.
29.	गवर्नमेंट सिक्यूरिटी मेन्यूएल.
30.	मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) संशोधन अधिनियम.
31.	सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों द्वारा मध्यप्रदेश शासन सिविल पेंशन भोगियों को पेंशन भुगतान की योजना.
32.	मध्यप्रदेश शासन गारंटी रूल्स, 1976.

Raipur, the 29th October, 2002

NOTIFICATION

No.557/690/Fin./Rules/iv/2002.—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Re-organisation Act, 2000 (No. 28 of 2000), the State Government hereby makes the following order, namely :—

ORDER

(1) This order may be called the Adaptation Order, 2002.
(2) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November, 2000.

2. The laws as amended from time to time, specified in the Schedule to this order which were in force in the State of Madhya Pradesh immediately before the formation of the State of Chhattisgarh are hereby extended and shall be in force in the State of Chhattisgarh until repealed or amended. Subject to the modification that in the laws for the words "Madhya Pradesh", wherever they occur, the word "Chhattisgarh" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, rules, form, regulation, certificate or licence) in exercise of the powers conferred by or under the laws specified in the Schedule shall continue to be in force in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of the Laws (2)
1.	The Madhya Pradesh Fundamental Rules-Vol. I.
2.	The Madhya Pradesh Fundamental Rules-Vol. II.

(1)	(2)
3.	The Madhya Pradesh Civil Service (Leave) Rules, 1977.
4.	The Madhya Pradesh Travelling Allowance Rules.
5.	The Madhya Pradesh Civil Service (Joining Time) Rules, 1982.
6.	The Madhya Pradesh Civil Service (Pension) Rules, 1976.
7.	The Madhya Pradesh Civil Service (Commutation of Pension) Rules, 1996.
8.	The Madhya Pradesh General Provident Fund Rules.
9.	The Madhya Pradesh Government Servant Family Benefit Fund Rules, 1974.
10.	The Madhya Pradesh Government Servant Group Insurance Scheme, 1985.
11.	The Madhya Pradesh Vahan Chalak Durghatna Bima, 1993.
12.	Unification of pay scales and fixation of pay on Absorption Rules, 1959.
13.	Madhya Pradesh Revision of pay Rules, 1961.
14.	Madhya Pradesh Revision of pay Rules, 1973.
15.	Rules regarding fixation of pay of Engineers in the revised Faquirchand Scales of pay (MPFD No. 1409/2814/83-R-I/IV/dated 23-9-83).
16.	Madhya Pradesh Revision of pay Rules, 1983.
17.	Madhya Pradesh Revision of pay Rules, 1987.
18.	Madhya Pradesh Revision of pay Rules, 1990.
19.	Madhya Pradesh Revision of pay Rules, 1998.
20.	The Madhya Pradesh Work Charged and Contingency paid Employees Revision of pay Rules, 1984.
21.	The Madhya Pradesh Work Charged and Contingency paid Employees Revision of pay Rules, 1987.
22.	The Madhya Pradesh Work Charged and Contingency paid Employees Revision of pay Rules, 1990.
23.	The Madhya Pradesh Work Charged and Contingency paid Employees Revision of pay Rules, 1998.
24.	The Madhya Pradesh Work Charged and Contingency paid Employees (Pension) Rules, 1979.
25.	The Madhya Pradesh Work Charged and Contingency paid Staff (Gratuity Benefits) Rules, 1962.
26.	Madhya Pradesh Pensioner Welfare Fund Rules, 1997.
27.	Police Karamchari Varg Extraordinary Family Pension Rules, 1965.
28.	Madhya Pradesh Civil Service (Extraordinary) Pension Rules, 1963.

(1)	(2)
29.	Govt. Security Manual.
30.	Madhya Pradesh Shasakiya Sewak (Adhiwarshiki Ayu) Sanshodhan Adhiniyam.
31.	Scheme for payment of pension of M. P. Govt. Civil pensioner by Public Sector Banks.
32.	The Madhya Pradesh Government Guarantee Rules, 1976.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, उप-सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.